संख्या–2594 / 33–3–2009–1 / 08

प्रेषक,

आर0के0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, सीतापुर,
रायबरेली, गोरखपुर एवं सुल्तानपुर।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ:: दिनांक:: 30 नवम्बर, 2009

विषय :– नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान अन्तर्गत प्रदेश के छः जनपदों में कियान्वित की जा रही ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के माध्यम से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुये आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के शासनादेश संख्या–851 / 1–4–08–82बी–4 / 08, दिनांक 17 अप्रैल, 2008 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के छः जनपदों–गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, सीतापुर, रायबरेली, गोरखपुर एवं सुलतानपुर में पाइलट आधार पर कियान्वित की जा रही ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत कतिपय सेवाओं को इलेक्ट्रानिक माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इनमें से पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत ई–डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से निम्ननिखित सेवाओं को इलेक्ट्रानिकली उपलब्ध कराया जाना है:–

(क) जन्म प्रमाण पत्र (मूल प्रति एवं डुप्लीकेट प्रति) निर्गत किया जाना।
(ख) मृत्यु प्रमाण पत्र (मूल प्रति एवं डुप्लीकेट प्रति) निर्गत किया जाना।

2– उक्त प्रमाण पत्रों के निर्गत कराने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा:–

1– आवेदक को अपने निकटतम कामन सर्विस सेन्टर में जाकर सेन्टर के आपरेटर को एक निर्धारित प्रारूप पर (जोकि आपरेटर के पास उपलब्ध रहेगा) उक्त सेवाओं के लिए अनुरोध करना होगा।

2– आवेदक को अपने पहचान से सम्बन्धित एवं चिकित्सालय / ग्राम पंचायत अधिकारी / पंचायत सचिव द्वारा निर्गत जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3– कामन सर्विस सेन्टर के आपरेटर द्वारा सभी आवश्यक विवरण आवेदक से प्राप्त करने के उपरान्त पंजीयन से सम्बन्धित ई–फार्म में भरा जायेगा।

4– आवेदक द्वारा प्रदत्त अभिलेखों को कामन सर्विस सेन्टर के आपरेटर द्वारा स्कैन किया जायेगा।

5– फार्म में सभी प्रविष्टियों को पूर्ण करने के उपरान्त आपरेटर द्वारा आवेदक को पुष्टि के लिए प्राप्त कराया जायेगा।

6– आवेदक द्वारा फार्म में उल्लिखित सभी प्रविष्टियों को चेक कर उसकी पुष्टि की जायेगी तथा फार्म की प्रविष्टियॉ सही पायी जाने पर आवेदक अपने हस्ताक्षर करेगा या अंगूठे का निशान लगाया जायेगा।

7– तदोपरान्त कामन सर्विस सेन्टर द्वारा इलेक्ट्रानिक प्रणाली माध्यम से पंजीकरण हेतु आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। ग्राम पंचायत के लिए, संबंधित विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) इस हेतु सक्षम प्राधिकारी होगे, जिनके माध्यम से प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कराया जायेगा।

8– प्रार्थना पत्रों के साथ संलग्नकों की वैधता/पूर्णता आदि की जांच के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी जॉच अधिकारी होगे जो कि प्रार्थना पत्रों से सम्बन्धित जांच आख्या प्रस्तुत करेंगे।

9– आवेदन पत्रों का निस्तारण इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से एक निर्धारित एवं निश्चित समय सारणी के अन्तर्गत सम्बन्धित स्तरों (अधिकारी/कार्यालय) द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा तथा इस समय सारणी में यदि विलम्ब होता है, तो Escalation Matrix के अनुसार व्यवहरित होगा।

10– प्राप्त/पंजीकृत आवेदन पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय/जारी प्रमाण पत्र भी इलेक्ट्रानिक माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर की व्यवस्था द्वारा अधिकृत होकर आवेदक को उपलब्ध कराये जायेंगे।

11– इस हेतु दिए गये समय सीमा के उपरान्त आवेदक अपने जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र निर्धारित कामन सर्विस सेन्टर से प्राप्त कर सकते हैं।

3– उपरोक्त प्रकिया के द्वारा मात्र प्रकिया को पारदर्शी बनाते हुए उसका सरलीकरण किया गया है। प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु शर्ते एवं अन्य नियम पूर्ववत रहेंगे। इन निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाये, ताकि आम नागरिकों को कामन सर्विस सेन्टर से जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र समय से प्राप्त हो सके तथा पूरी प्रकिया को पारदर्शी बनाने के साथ–साथ सुगम एवं सरल बनाया जायेगा

4– इस सम्बन्ध में पंचायतीराज अनुभाग–3 से निर्गत शासनादेश संख्या–1618/33–3–2008–01/2008 दिनांक 9 जनवरी, 2009 तथा शासनादेश संख्या–1835/33–3–09–1/08 दिनांक 21–8–09 को तदनुसार संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(आर0के0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2– सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3– मण्डलायुक्त, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर एवं फैजाबाद।
4– निदेशक, पंचातीराज, उ0प्र0 लखनऊ।
5– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 लखनऊ।
6– सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) उत्तर प्रदेश।
7– संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8– गार्ड फाइल।

भवदीय,

(लाल बिहारी)
विशेष सचिव।